न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 249/2018

अनवान :

1. दशरथ कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र तुलाराम मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. चन्द्रकला
3. सुनीता
4. ममता
5. धापां
6. मन्जु

(क्रमांक 2 से 6) पुत्रियां बनवारीलाल जाति मेघवंशी निवासीगण गांव मेहलिया तहसील भादरा

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखल **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 3.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मेहलिया के वर्तमान खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 85 की 1.303 है0 खसरा सं0 106 की 16.301 है0 खसरा सं0 194 की 4.515 है0 खसरा नं0 207/2 की 4.642 है0 कुल 26.761 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

इसी प्रकार रोही रामबास के खाता सं0 28/30 के खसरा सं0 223 की 3.289 है0 खसरा सं0 309 की 0.164 है0 कुल 3.453 है0 प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

इसी प्रकार रोही रामबास के ही खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 63 की 7.438 है0 खसरा सं0 64 की 5.136 है0 खसरा सं0 65 की 5.022 है0 खसरा सं0 66 की 5.591 है0 कुल 23.187 है0 बारानी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/15 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि जो प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज है, वह पहले वादी के दादा तुलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। तुलाराम को उक्त भूमि अपने पिता से विरासतन में प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के कारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा(हनु.)

प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम दर्ज हिस्सा में वादी का भी जन्म से हक एवं हिस्सा निहित है।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी बनवारीलाल के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादी बनवारीलाल बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी बनवारीलाल की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दशरथ कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मेहलिया प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम रामबास सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये एवं प्रमाणित प्रति नामान्तरण रजिस्टर ग्राम मेहलिया व रामबास की पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादभूमि पहले वादी के दादा तुलाराम की खातेदारी हुआ करती थी व तुलाराम को उक्त भूमि अपने पिता से विरासतन में प्राप्त हुई थी। वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम दर्ज हिस्सा में वादी का भी जन्म से हक एवं हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मेहलिया व रामबास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मेहलिया प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम रामबास सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उनमें पूर्व की प्रविष्टियां वादी के दादा तुलाराम के नाम से दर्ज है। प्रस्तुत प्रमाणित प्रति नामान्तरण रजिस्टर ग्राम मेहलिया व रामबास के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि तुलाराम से उसके वारिसान धर्मपाल व बनवारीलाल के नाम मुताबिक न्यायालय के आदेश व डिक्री के इंतकाल किया जाकर जमाबन्दीयात में दर्ज की गई है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित हैं एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में बनवारी के वारिसान में पत्नी मेवा देवी, एक पुत्र दशरथ कुमार व पांच पुत्रियां चन्द्रकला, सुनीता देवी, ममता, धापा देवी, मन्जू देवी जायज वारिस/सदस्य होना एवं इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेहलिया के वर्तमान खाता सं0 27/29 के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

खसरा सं0 85 की 1.303 है0 खसरा सं0 106 की 16.301 है0 खसरा सं0 194 की 4.515 है0 खसरा नं0 207/2 की 4.642 है0 कुल 26.761 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व रोही रामबास के खाता सं0 28/30 के खसरा सं0 223 की 3.289 है0 खसरा सं0 309 की 0.164 है0 कुल 3.453 है0 प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व रोही रामबास के ही खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 63 की 7.438 है0 खसरा सं0 64 की 5.136 है0 खसरा सं0 65 की 5.022 है0 खसरा सं0 66 की 5.591 है0 कुल 23.187 है0 बारानी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/15 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा कर एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 249/2018

अनवान :

1. दशरथ कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र तुलाराम मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. चन्द्रकला
3. सुनीता
4. ममता
5. धापां
6. मन्जु

(2 से 6) पुत्रियां बनवारीलाल जाति मेघवंशी निवासीगण गांव मेहलिया तहसील भादरा

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र जाखल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहलिया के वर्तमान खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 85 की 1.303 है0 खसरा सं0 106 की 16.301 है0 खसरा सं0 194 की 4.515 है0 खसरा नं0 207/2 की 4.642 है0 कुल 26.761 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व रोही रामबास के खाता सं0 28/30 के खसरा सं0 223 की 3.289 है0 खसरा सं0 309 की 0.164 है0 कुल 3.453 है0 प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व रोही रामबास के ही खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 63 की 7.438 है0 खसरा सं0 64 की 5.136 है0 खसरा सं0 65 की 5.022 है0 खसरा सं0 66 की 5.591 है0 कुल 23.187 है0 बारानी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम से 1/15 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा कर एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़